# फर्द अहकाम

## न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

**प्रार्थी : श्रीमती मोतडी** | **विपक्षी : श्री गणेश**

**किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम** | **पत्रावली संख्या : 91/23**

**जीसीएमएस : 2023/390**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | दिनांक : 13.02.2025 | |

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा मारूवास पटवार हल्का नउवा तहसील मावली हाल घासा जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 400 पर दर्ज आराजी नम्बर 1569/615, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632 किता 14 कुल रकबा 1.3923 हेक्टेयर, खाता संख्या 213 पर दर्ज आराजी नम्बर 1058, 1060, 1066, 1070, 1071, 1072, 1076 किता 7 कुल रकबा 0.2671 हेक्टेयर, खाता संख्या 107 पर दर्ज आराजी नम्बर 1057, 1063, 1075 किता 3 कुल रकबा 0.9955 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 237 पर दर्ज आराजी नम्बर 1068 रकबा 0.0971 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीया व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहती है परन्तु प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2023 से अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से को विपक्षी संख्या 1, 2 को विक्रय करना जाहिर होता हैं। चूंकि विक्रय का नामान्तरकरण पारित नहीं होने से वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया के नाम पर ही चली आ रही हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की हैं परन्तु प्रार्थीया का कथन है कि उक्त भूमि के राशि के जो चेक मुझे दिये गये थे उन चेक पर मोतीबाई का अंकन कर दिया गया जिससे प्रार्थीया को राशि प्राप्त नहीं हो पाई। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि चेक की राशि दिलाने के लिए यह न्यायालय सक्षम नहीं हैं। चेक की राशि प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त करनी चाहिए थी। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय करने से प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्व साबित होते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं साथ ही प्रार्थी रूपलाल पिता भूरीलाल द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. प्रस्तुत कर पक्षकार बनना चाहा परन्तु प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र ही स्वीकार योग्य नहीं है तो पक्षकार बनाने का कोई औचित्य ही नहीं हैं। अतः उक्त प्रार्थना पत्र भी खारिज योग्य पाया जाता हैं।

### –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी रूपलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का एवं प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से दोनो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाते हैं। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

**(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)**
**सहायक कलक्टर**
**(SDO) मावली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:16 IST
Reason: SelfAttested